(121)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 357–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–16 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील गोहरगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 62/अ–27/14–15.

दुलीचंद आत्मज लालचंद
निवासी ग्राम मगरपूंछ
तहसील गोहरगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– कैलाश आत्मज दुलीचंद
2– काशीराम आत्मज लालचंद
3– रविशंकर आत्मज धनलाल
4– नंदकिशोर आत्मज धनलाल
निवासीगण ग्राम मगरंपूछ
तहसील गोहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.एल. रघुवंशी, अभिभाषक, अनावेदक क. 2
श्री रविशंकर, अभिभाषक, अनावेदक क. 3 व 4

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 15/12/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील गोहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा ग्राम मगरंपूछ तहसील गोहरगंज जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 82, 83, 108, 110, 111, 136, 137, 177, 181/5, 200, 251 एवं 272 कुल किता 12 कुल रकबा 5.282 हेक्टेयर के बटवारा हेतु तहसीलदार, गोहरगंज जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा पकरण कमांक

62/अ–27/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान पर आपत्ति की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–12–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्कों के दौरान निगरानी मेमों तथा प्रश्नाधीन आदेश से हटकर तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को कानून का ज्ञान नहीं होने से उसे विधिक सलाह दी गई थी कि वे विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, इसी कारण उसके द्वारा बाद में प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत दस्तावेज से स्वत्व हस्तान्तरण होते हैं, परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं होने के बावजूद भी बटवारे की कार्यवाही की जा रही है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप कोई व्यक्ति अपनी भूमि का बटवारा करा सकता है, परन्तु उसे बटवारा कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 3 व 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा पूर्व में ही आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य हो चुका है और वे अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं ।

(2) आवेदक दुलीचंद एवं अनावेदक कमांक 2 काशीराम द्वारा आपसी सहमतिपूर्वक हस्ताक्षर कर बटवारा आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत फर्द विभाजन आमंत्रित किया गया है और उनके द्वारा 30–35

वर्ष से प्रश्नाधीन संयुक्त भूमि का उभय पक्ष के मध्य बटवारा होना स्वीकार किया गया है और फर्द बटान पर कोई आपत्ति नहीं होना भी स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में बाद में प्रकरण वापिस लेना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत विभाजन आवेदन पत्र का निराकरण गुण–दोष पर किया जाना चाहिए, इसलिए भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है ।

6/ अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने बटवारा कार्यवाही नहीं चलाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, की पुष्टि अभिलेख से नहीं होती है, क्योंकि तहसील न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10–8–16 से स्पष्ट है कि पक्षकार ने विचारण न्यायालय में अपनी इस मांग को Not press कर दिया था । जहां तक निगरानी मेमों में उठाये गये यह आधार कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 19–12–16 द्वारा फर्द बटान सम्बन्धी आपत्ति निरस्त करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19–12–16 को आदेश पारित कर प्रकरण में प्रस्तुत फर्द बटान का परीक्षण साक्ष्य के आधार पर किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को अपने समर्थन में तथा प्रस्तावित फर्द बटान पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील गोहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर